



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1113/MP/3/2023-APCR

दिनांक: 01/05/2023

1. श्री तरुण कुमार दुग्गल
पुलिस अधीक्षक,
जिला - गांधीनगर
सेक्टर -27, गांधीनगर,
गुजरात 383028
Email Id: sp-gnr@gujarat.gov.in
Tel. No: 9978405070

विषय: एल एंड टी कंपनी कलोल, जिला गांधीनगर, थाना शांतेज, गुजरात में कार्यरत श्री सोमसिंग की पुत्री भावना की पानी में डूबने से मृत्यु के पश्चात् ठेकेदार करमवीर व देवेश द्वारा लड़की की लाश लड़की के पिता को देकर भगा देने व कोई मुआवजा व किये गये काम की मजदूरी के रूपये नहीं देने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के सम्बन्ध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Somsing से दिनांक 21/03/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी

दूरभाष सं.: 24645826

ई-मेल: researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री सोमसिंग,
वार्ड न० 13, ग्राम मोरडुंगरा,
तहसील - मेघनगर, पोस्ट- मेघनगर,
जिला - झाबुआ, मध्यप्रदेश
दूरभाष: 9977340248